



मुख्यमंत्री की पाती

प्रिय प्रदेशवासियों,

मध्यप्रदेश का गौरवशाली इतिहास है। यहां की अपनी विशिष्ट समृद्ध संस्कृति है। मध्यप्रदेश की धरती ओजस्वी कर्मवीरों के लिए विशेष पहचान रखती है। प्रकृति के अनमोल आशीर्वाद के रूप में मध्य प्रदेश में सभी तरह के संसाधनों का असीमित भंडार है। इनके आधार पर मध्यप्रदेश आज औद्योगिक विकास के साथ पर्यटन, संस्कृति और कई नवाचारों के साथ आगे बढ़ रहा है। भगवान श्रीमहाकाल की दिव्य नगरी उज्जैन में एक दृढ़ संकल्प के साथ रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव से शुरू हुई औद्योगिक विकास की यात्रा भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2025 के अहम पड़ाव से होकर गुजरी। यह यात्रा जापान, दुबई और स्पेन तक पहुंच गई है। जीआईएस में देश-विदेश के निवेशकों की भागीदारी से औद्योगिक विकास और रोजगार के नए अवसरों की राहें खुली हैं। 'अनंत संभावनाओं' वाला मध्य प्रदेश गत 2 वर्ष में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निवेशों के लिए सर्वाधिक लोकप्रिय एवं उभरता गंतव्य बन चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर धार जिले में देश के पहले पीएम मित्र पार्क की शोभा मिली है। टेक्सटाइल सेक्टर का यह पार्क मालवा-निमाड़ के कपास उत्पादक किसानों के लिए एक वरदान बनेगा। मध्य प्रदेश देश का एक अग्रणी राज्य बनने की ओर अग्रसर है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत को वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प समस्त भारतवासियों ने लिया है। प्रधानमंत्री मोदी के 'सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास' के मंत्र को सार्थकता प्रदान करते हुए मध्यप्रदेश जीवाईएन अर्थात् गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी सशक्तिकरण पर कार्य कर रहा है। मध्यप्रदेश में जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास और राशन दिया जा रहा है, साथ ही औद्योगिक विकास ने युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित किए हैं। लाइली बहनों की राशि में वृद्धि, किसानों को सोलर पंप के लिए 90 प्रतिशत अनुदान और भावान्तर जैसे अनेक कल्याणकारी कदम प्रदेश की समृद्धि के आधार बनेंगे। मध्यप्रदेश सरकार के जनसेवा और समर्पण की यात्रा के 24 माह अर्थात् दो वर्ष पूर्ण हो गए हैं। हमें गर्व है कि मध्यप्रदेश की नौ करोड़ जनता के सहयोग से प्रदेश के चहुंमुखी विकास के साथ 'सर्वजन हिताय-सर्वजन सुखाय' के मंत्र को साकार करने में भी हमें सफलता मिल रही है। हमें विश्वास है कि बीते 2 वर्ष में सांस्कृतिक पुनर्जागरण के प्रयास, प्रदेश के नागरिकों की खुशहाली और चौतरफा विकास के लिए हुए कार्यों के परिणाम और उनकी सफलता हमें विकास के प्रयासों को और अधिक तेज करने के लिए उत्प्रेरक का काम करेंगे। हमारी सरकार का प्रयास हमेशा यही रहा है कि विकास का मार्ग साथ मिलकर तय किया जाए। भविष्य में भी हम जनकल्याण के संकल्प के साथ ही निरंतर आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए विकसित मध्यप्रदेश निर्माण के लिए हम संकल्पित हैं। इसमें समस्त प्रदेशवासियों का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा जिसके लिए सभी प्रतिबद्ध हैं।



मप्र पूरे देश के लिए 'महिला सशक्तिकरण' मॉडल के रूप में उभरा

'लाइली बहना'

मध्यप्रदेश में 'लाइली बहना योजना' सबसे प्रभावशाली पहल बन चुकी है। इस योजना के तहत अब तक 1.26 करोड़ महिलाओं को प्रतिमाह 1800 करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे उनके खातों में ट्रांसफर की जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने लाइली बहनों को भाई दूज से 1500 रुपये की राशि देने का निर्णय लिया है। अब तक 48 हजार 632 करोड़ रुपये से अधिक की आर्थिक सहायता दी जा चुकी है, जिससे महिलाएं आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने के साथ-साथ डिजिटल लेन-देन में दक्ष बन रही हैं।

'लखपति दीदी'

मुख्यमंत्री डॉ. यादव द्वारा शुरू की गई 'लखपति दीदी योजना' के अंतर्गत प्रदेश की 1 लाख से अधिक महिलाएं प्रति वर्ष 1 लाख से अधिक की आय अर्जित कर रही हैं। लक्ष्य है कि 5 लाख से अधिक स्व-सहायता समूहों के माध्यम से 62 लाख महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाए। ये महिलाएं अब लघु उद्योग, कृषि, हस्तशिल्प और सेवा क्षेत्र में नए अवसर सृजित कर रही हैं।

शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता

राज्य की लोकप्रिय 'लाइली लक्ष्मी योजना' के तहत 2024-25 में 2.73 लाख बालिकाओं का पंजीकरण किया गया

जब किसी राज्य का नेतृत्व केवल योजनाएं नहीं बनाता, बल्कि स्वयं जनभावनाओं के साथ जुड़कर उन्हें सशक्त करता है, तब एक नई क्रांति जन्म लेती है। मध्यप्रदेश में महिला सशक्तिकरण की यही क्रांति मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में आकार ले रही है। एक ओर जहां राज्य की महिलाएं आर्थिक, सामाजिक और डिजिटल रूप से आत्मनिर्भर बन रही हैं, वहीं दूसरी ओर मध्यप्रदेश पूरे देश के लिए 'महिला सशक्तिकरण मॉडल' के रूप में उभर कर सामने आया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का स्पष्ट मानना है कि जब तक नारी सक्षम नहीं होगी, समाज समृद्ध नहीं हो सकता। यही सोच आज प्रदेश की

और 223 करोड़ रुपये की छात्रवृत्तियां वितरित की गईं। अब तक इस योजना से 50 लाख से अधिक बेटियां लाभान्वित हो चुकी हैं। स्वच्छता क्षेत्र में, किशोरियों के लिए 19 लाख से अधिक सैनिटेशन किट्स वितरित की गईं और 57 करोड़ रुपये की सहायता दी गई, जिसे यूनिसेफ ने भी सराहा है।

महिला सुरक्षा

राज्य में महिला हेल्पलाइन 181, 112 आपात सेवा, महिला पुलिस थाने, साइबर हेल्पलाइन, और महिला आरक्षी भर्ती जैसे

नीतियों, योजनाओं और जमीनी बदलावों में साफ नजर आती है। उन्होंने ग्रामीण स्व-सहायता समूहों से लेकर शहरी महिला उद्यमिता, सुरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा तक, बहुआयामी हस्तक्षेपों के जरिए महिलाओं को सशक्त बनाने की मजबूत आधारशिला रखी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की नेतृत्व क्षमता, दूरदर्शी सोच और समाज के हर वर्ग को जोड़ने की रणनीति ने यह सिद्ध कर दिया है कि अगर संकल्प मजबूत हो, तो परिवर्तन संभव है। आज मध्यप्रदेश की महिलाएं घरेलू भूमिकाओं से निकलकर उद्यम, प्रशासन, शिक्षा, और नवाचार के हर क्षेत्र में आगे आ रही हैं।

कदमों ने महिला सुरक्षा की दिशा में ठोस बदलाव लाए हैं। अब तक 1.5 लाख से अधिक महिलाओं को समय पर सहायता प्रदान की जा चुकी है।

उद्यमिता को मिली उड़ान

एमएसएमई क्षेत्र में 850 से अधिक इकाइयों को 275 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है, जिससे महिला उद्यमिता को मजबूत आधार मिला है। रेडीमेड गारमेंट उद्योग में कार्यरत महिलाओं को प्रतिमाह 5000 की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। प्रदेश अब केवल

राजनीतिक और प्रशासनिक प्रतिनिधित्व में बढ़त

राज्य सरकार ने सरकारी सेवाओं में 35% और स्थानीय निकायों में 50% आरक्षण देकर महिलाओं को निर्णायक भूमिकाओं में आगे बढ़ाया है। वर्ष 2025-26 के जेडर बजट में 19,021 करोड़ रुपये की वृद्धि की गई है और महिला कल्याण पर कुल 1.21 लाख करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है।

देवी अहिल्या नारी सशक्तिकरण मिशन

लोकमता अहिल्या बाई होल्कर की 300वीं जयंती पर आरंभ देवी अहिल्या नारी सशक्तिकरण मिशन महिलाओं को स्टार्टअप, निवेश, और कौशल विकास से जोड़ रहा है। अब तक 8.10 करोड़ रुपये के निवेश पत्र वितरित किए जा चुके हैं।

भूगोलिक दृष्टि से देश के हृदय में नहीं है, बल्कि महिला सशक्तिकरण की धड़कन भी यहीं से तेज हो रही है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव के मार्गदर्शन में यह राज्य आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में 'नारी शक्ति' को केंद्र में रखते हुए नई इबारत लिख रहा है — जो आने वाले वर्षों में राष्ट्रीय नहीं, वैश्विक मॉडल बन सकता है।

कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग

घर-घर में छोटे उद्योगों और हुनर को प्रोत्साहन

- प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में ऋण प्रकरणों की स्वीकृति में राज्य का देश में चौथा स्थान तथा ऋण वितरण में तृतीय स्थान है। 48 हजार 63 ऋण स्वीकृत प्रकरण को 436 करोड़ 34 लाख रुपये का वितरण, 42 हजार 559 ऋण वितरण प्रकरणों में 378 करोड़ 6 लाख रुपये का वितरण किया गया।
- 2 लाख 16 हजार 13 हितग्राहियों को कौशल विकास प्रशिक्षण दिया गया।
- 85 हजार 536 हितग्राहियों को टूलकिट वितरण किया गया।
- 2 लाख 45 हजार 513 हितग्राहियों को ई-वाउचर वितरण किया गया।
- हाथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास निगम द्वारा 6 हजार 510 लाख 4 हजार का विक्रय एम्पोरियम/प्रदर्शनियों माध्यम से किया गया।
- प्रदेश में रॉट आयरन डिण्डोरी, बटिक प्रिंट-उज्जैन, कालीन शिल्प-नालियर, वारासिन्वी हाथकरघा साड़ी-बालाघाट एवं पत्थर शिल्प-जबलपुर को जी.आई. टैग प्रदान किए गए।

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

हर कंठ को निर्मल जल

- मध्यप्रदेश देश का पहला प्रदेश है, जिसने बोरेल में गिरने से होने वाली आकस्मिक मीठों को रोकने के लिए अधिनियम बनाया है।
- मध्यप्रदेश ने वित्त वर्ष 2024-25 में 8 लाख 19 हजार घरेलू क्रियाशील नल कनेक्शन प्रदान किए हैं और वित्त वर्ष 2025-26 में 5 लाख 50 हजार घरेलू क्रियाशील नल कनेक्शन प्रदान किए हैं।
- 5समूह योजनाओं की सतत मॉनिटरिंग के लिए जल रेखा मॉबाइल एप का निर्माण कर राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित किया गया।
- राज्य, जिला और उप-मंडल प्रयोगशालाओं सहित (155 प्रयोगशालाएँ) 100 प्रतिशत एनएबीएल प्रमाणित।
- राज्य में योजनाओं के प्रभावी संचालन एवं रखरखाव के लिए संचालन एवं संधारण नीति का प्रारूप तैयार किया गया।
- इंदौर जिले के ग्रामों में योजना के संचालन में आईओटी आधारित उपकरणों का प्रयोग कर ग्रामों में पर्याप्त दबाव से जल प्रदाय किया जा रहा है।
- एसआई बोर्ड और पीडब्ल्यूएस सोर्स की 106 प्रतिशत जियोटैगिंग की गई है।



- जल जीवन मिशन के अंतर्गत स्वच्छ जल से सुरक्षा अभियान अभियान 2 अक्टूबर, 2022 को शुरू किया गया। वर्ष 2024 में इस अभियान में मध्यप्रदेश शीर्ष स्थान पर है।
- पीएम शक्ति अंतर्गत मध्यप्रदेश द्वारा देश में सबसे अधिक योजनाओं एवं पाइपलाइन नेटवर्क को रेखांकित किया गया।
- जल निगम ने निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल पर 100 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना के लिए निविदा प्रक्रिया सम्पन्न कर 2.09 रुपये प्रति यूनिट की रिपोर्ट दर प्राप्त की।
- प्रावृष्टि एजेंसी अंतर्गत प्रस्तावित कर्मचारियों की चयन प्रक्रिया की गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट का संचालन किया गया।
- प्रदेश में 64 ग्रामों को पायलट आधार पर 24x7 जल प्रदाय किया जा रहा है।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग



लघु कारोबारियों को नई सुविधाएं

- मध्यप्रदेश एमएसएमई विकास नीति-2025, मध्यप्रदेश स्टार्टअप नीति एवं कार्यान्वयन योजना 2025, मध्यप्रदेश एमएसएमई को औद्योगिक भूमि एवं भवन आवंटन तथा प्रबंधन नियम-2025 जारी।
- एमएसएमई को उद्योग की स्थापना के लिए 880 भू-खण्ड (81.22 हेक्टेयर भूमि आवंटित) की गई।
- 694.24 एकड़ क्षेत्र में 16 नवीन औद्योगिक क्षेत्र विकसित।
- मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना अंतर्गत 15 हजार 77 हितग्राहियों को स्वयं का उद्यम स्थापित करने के लिए 1 हजार 36 करोड़ 96 लाख रुपये का ऋण उपलब्ध कराया गया।
- विभागीय आधिपत्य की भूमि को पारदर्शी तरीके से आवंटन करने के लिए ऑनलाइन बिडिंग प्रणाली विकसित की गई।
- एमएसएमई को अनुदान केन्द्रीयकृत व्यवस्था अंतर्गत प्रदान करने की ऑनलाइन व्यवस्था विकसित की गई।
- शार्क टैंक इंडिया टीम के साथ प्रदेश के स्टार्टअप्स के लिए विशेष कार्यक्रम किया गया।
- स्टार्टअप रैंकिंग 2022 'लीडर' श्रेणी का सम्मान (2024 में) प्राप्त हुआ।
- प्रदेश में 2 हजार 550 से अधिक स्टार्टअप द्वारा भारत सरकार के डीपीआईआईटी से अधिमान्यता प्राप्त की गई।
- स्टार्टअप को 3 करोड़ 11 लाख रुपये की सहायता प्रदान की गई।
- 34 नवीन इंक्यूबेटर स्थापित हुए।

औद्योगिक नीति एवं निवेश



मध्यप्रदेश में निवेश की बहार, बढ़ता रोजगार

- मध्यप्रदेश भारत का पहला राज्य बना जिसने मध्यप्रदेश जन विश्वास अधिनियम, 2024 को पारित किया।
- बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2022 के सफल क्रियान्वयन के लिए मध्यप्रदेश को टॉप अचीवर कैटेगरी इन सिटीजन सर्विसेज में सम्मानित किया गया।
- बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2024 के इम्प्लिमेंटेशन में मध्यप्रदेश को लैंड एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस एंटी, लेबर रेग्युलेशन एनेब्लर्स एवं सर्विस सेक्टर में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ।
- मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य बना जिसने लेबर केस मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया।
- ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्रणाली के माध्यम से 6000 से अधिक श्रम संबंधी मामलों का समाधान किया गया।
- बुरहानपुर जिले को ओडीओपी अवाइड से सम्मानित किया गया।
- एमपी के उत्पादों और उद्योगों का राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन किया गया।
- सुंदरजा आम वितरण और एमपी के जीआई उत्पादों को बढ़ावा दिया गया।
- प्रदेश में उद्योग विकास, निवेश और रोजगार पर केंद्रित 7 रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव आयोजित किए गए।
- निवेश अवसरों पर उद्योगपतियों से चर्चा के लिए इंटरैक्टिव सेशन ऑन इन्वेस्टमेंट ऑपॉर्च्युनिटीज इन मध्यप्रदेश के सत्र आयोजित किए गए।
- इन्वेस्टर आउटरीम सेमीनार में उद्योग संगठनों एवं उद्यमियों से मध्यप्रदेश में निवेश संभावनाओं पर चर्चा की गई।
- भोपाल में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 का आयोजन किया गया।
- इंदौर, उज्जैन एवं भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम आयोजित किए गए।
- मुंबई में अक्टूबर 2025 में निवेशकों से संवाद कार्यक्रम आयोजित हुआ।
- राज्य स्थापना दिवस पर अभ्युदय-मध्यप्रदेश स्थापना दिवस समारोह में आयोजित तीन दिनी कार्यक्रम में निर्यात, निवेश एवं उद्यमिता विषयक प्रदर्शनी एवं सत्र आयोजित किए गए।
- औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग द्वारा आयोजित जीआईएस 2025/आरआईसी में 30.77 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। अबतक 8.57 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव धरातल पर आ चुके हैं।

पशुपालन एवं डेयरी विभाग



मध्यप्रदेश को मिल्क केपिटल बनाने की संकल्प यात्रा प्रारंभ

- गोशालाओं को व्यवस्थापन के लिए दी जा रही प्रति गौवंश अनुदान राशि रुपये 20/- प्रति गौवंश प्रति दिवस से बढ़ाकर रुपये 40/- प्रति गौवंश प्रति दिवस किया गया।
- वर्ष 2025-26 में राज्य में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि तथा उन्नत नस्ल के पशुओं के आच्छादन के लिए भीमराव अम्बेडकर कामधेनु योजना प्रारम्भ की गई।
- नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय के अंतर्गत शासकीय पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालयों में अध्ययनरत स्नातक छात्रों के लिए इंटरनेशनल स्टायापेण्ड में राज्यांश 52 प्रतिशत बढ़ाकर कुल स्टायापेण्ड राशि 10 हजार रुपये की गई।
- मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक, 2024 का अनुमोदन किया गया जिसके तहत गौवंश के अवैध परिवहन में प्रयुक्त वाहन को राजसात करने का प्रावधान किया गया।
- प्रदेश में निराश्रित गौवंश की समस्या के निराकरण के लिए मध्यप्रदेश राज्य में स्वावलंबी गोशालाओं कामधेनु निवास की स्थापना की नीति 2025 की स्वीकृति दी गई।
- मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना का विस्तार 3 जिलों से बढ़ाकर समस्त जिलों में किया गया।
- संचालनालय पशुपालन एवं डेयरी अंतर्गत पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ के 70 पदों तथा सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारियों के 589 पदों पर नियुक्ति।
- मध्यप्रदेश राज्य को-आपरेटिव डेयरी फेडरेशन लि., अंतर्गत कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से 98 पदों पर नियुक्ति।
- एम.पी. स्टेट को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड तथा संबद्ध दुग्ध संघों के संचालन एवं प्रबंधन के लिए मध्यप्रदेश शासन, एम.पी. स्टेट को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड एवं संबद्ध दुग्ध संघों तथा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के मध्य होने वाले सहकार्यता अनुबंध (कोलेबोरेशन एग्रीमेंट) पर सहमति तथा अनुबंध निष्पादित करने का निर्णय लिया गया।